

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.01 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित मोटर मार्ग शासनादेश संख्या 6667/III(2)/13-32 (प्रा०आ०)/2013 लोक निर्माण विभाग दिनांक 22/11/2013 के द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत हैं। प्रस्तावित मार्ग विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत ग्राम सौड़ा द्वारा से आरम्भ होकर चमेली चौक तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास कराना है। इस मार्ग के निर्माण से बरसात में किसान अपनी कृषि उपज को देहरादून मण्डी तक पहुंचाने, शिक्षा एवं आपातकालीन चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। इस मार्ग के निर्माण से इन ग्रामवासियों को शहर देहरादून से नजदीकी सम्पर्क बन जायेगा इससे पर्यटन में वृद्धि होगी साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।


सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश


अधिशाली अभियन्ता
अ० खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी